

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
बृजबिहारी लाल शर्मा, से.नि. वरिष्ठ सहायक, केयर ऑफ राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर
— अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली

— रेस्पोंडेंट

मु.नं. 31/19 किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005

ता.रजु 27.11.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11. 2019	<p>अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को आवेदन प्रेषित कर सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की गई है।</p> <p>अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को प्रेषित किये गये आवेदन पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित नहीं की गई है जिससे यह जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से क्या सूचना चाही गई थी। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारान को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p>प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली</p>	

